

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-58/5/2012/19/यो/138
प्रति,

भोपाल, दिनांक 08/01/2018


- 1 प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
निर्माण भवन, भोपाल।
- 2 परियोजना संचालक,
लोक निर्माण विभाग,
परियोजना क्रियान्वयन ईकाई,
भोपाल।

विषय: लोक निर्माण विभाग के कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में।
संदर्भ: 1. म.प्र. शासन, लो.नि.वि. के ज्ञाप क्रमांक एफ-58/5/2012/19/यो/5718
दिनांक 16.09.2013
2. म.प्र. शासन, लो.नि.वि. के ज्ञाप क्रमांक एफ-58/5/2012/19/यो/5718
दिनांक 29.01.2016
3. म.प्र. शासन, लो.नि.वि. के ज्ञाप क्रमांक एफ-58/5/2012/19/यो/3567
दिनांक 27.06.2016

लोक निर्माण विभाग के कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में शासन के समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 27.06.2016 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

लोक निर्माण विभाग भवन/पथ एवं पी.आई.यू. के अधीनस्थ चल रहे सभी मूल निर्माण कार्यों एवं मजबूतीकरण/नवीनीकरण कार्यों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री एवं सम्पादित किये गये कार्यों का परीक्षण केवल लोक निर्माण विभाग की विभागीय प्रयोगशालाओं से ही कराये जाये। अधीक्षण यंत्री या उनसे वरिष्ठ अधिकारी ISO/IEC 17011 के अनुसार कार्य करने वाली संस्था यथा NABL या अन्य कोई एक्कीडेटिंग संस्था जो कि प्रयोगशालाओं को ISO/IEC 17025 के अनुसार ऐक्रीडिट करती है, से टेस्ट कराने हेतु अनुमति प्रदान कर सकते हैं।

उपरोक्त निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू किये जाते हैं।


(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल)
सचिव

म0प्र0 शासन, लोक निर्माण विभाग
भोपाल, दिनांक

पृ.क्रमांक एफ-58/5/2012/19/यो
प्रतिलिपि :-

1. समस्त मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, परिक्षेत्र
2. समस्त अतिरिक्त परियोजना संचालक, लो.नि.वि., पी.आई.यू.
3. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग, मण्डल
4. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग
5. समस्त संभागीय परियोजना यंत्री, लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू.

सचिव

म0प्र0 शासन, लोक निर्माण विभाग